कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/एफ–1ए/12155/2014 दिनांक.05.11.2015

विज्ञप्ति

01. राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए निम्नांकित मंत्रीगण की मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है–

i)श्रीगुलाब चन्द कटारिया, माननीय गृहमंत्री –अध्यक्ष

ii)श्री कालीचरण सराफ, माननीय उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षामंत्री –सदस्य

iii)श्री सुरेन्द्र गोयल, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री –सदस्य

iv)श्री अरूण चतुर्वेदी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री –सदस्य

v)श्री वासुदेव देवनानी, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) –सदस्य

02 प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति का प्रारूप विभागीय वेबसाईट **www.rajshiksha.gov.in** पर उपलब्ध है।

03 प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति के संबंध मेंसुझाव 15 दिवस में ई–मेल आईडी–**transferpolicyeducation@gmail.com** पर तथा कार्यालय समय में शासन सचिवालय, जयपुर मेंशिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, मुख्य भवन कक्ष संख्या–1210 में दिये जा सकते है।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों हेतु स्थानान्तरण नीति

1. विस्तार

यह नीति सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सभी संवर्गो के अध्यापकों (अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य) पर लागू होगी।

2. स्थानान्तरण प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के समस्त संवर्गों के स्थानान्तरण परामर्श कैम्प आयोजित कर अन्तःजिला स्थानान्तरण हेतु जिला स्तर पर एवं अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु राज्य स्तर पर गठित स्थानान्तरण परामर्शदात्री समिति की अनुशंषा के आधार पर इस नीति के प्रावधानों के अनुसार किये जावेंगे।

3. स्थानान्तरण कार्यक्रम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से समय–समय पर स्थानान्तरण कार्यक्रम जारी किया जावेगा।

4. स्थानान्तरण आदेश

सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की अभिशंषा पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगे। सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी से तात्पर्य निम्नानुसार है :–

(i) तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं शारीरिक शिक्षकों हेतु :– **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)**

(ii) वरिष्ठ अध्यापकों एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों हेतु :– **उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)**

(iii) प्रधानाचार्यो/प्राध्यापकों (व्याख्याताओं)/प्रधानाध्यापकों/शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी हेतु :– **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।**

(A) अन्तः जिला स्थानान्तरण की प्रकिया

5. स्थानान्तरण

5.1. निम्न श्रेणी के अध्यापकों का स्थानान्तरण आवश्यक रूप से किया जायेगा –

(अ) जिनके द्वारा एक ही ग्राम/शहर में स्थित विद्यालय/विद्यालयों में 10 वर्ष की कार्यावधि वर्ष की 01 जुलाई को पूर्ण कर ली हो अथवा कर ली जावेगी। परन्तु जो अध्यापक आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृत हो रहे है, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(ब) बालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष की 01 जुलाई को 50 वर्ष से कम उम्र के पुरूष प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य व अध्यापक।

(स) ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जिनके विद्यालय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं/12वीं (किसी भी एक कक्षा) का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्रामों के विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जावेगा।

(द) ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जिनके विद्यालय के 8वीं बोर्ड के परिणाम में 70 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों ने 'डी' ग्रेड प्राप्त की हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(य) ऐसे प्राध्यापक (व्याख्याता)/वरिष्ठ अध्यापक जिनके विषय का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं/12वीं (किसी भी एक कक्षा) का परीक्षा परिणाम गत तीन वर्षों में से दो वर्षों में 50

प्रतिशत से कम रहा हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(र) ऐसे वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक जिनके विषय में 8वीं बोर्ड परीक्षा में गत तीन वर्षों में से दो वर्षों में 50 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा 'डी' ग्रेड प्राप्त किया हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ल) ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाये जा रहे विषय में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का अधिगम स्तर (Learning Level) "डी" ग्रेड है, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जावेगा।

(व) समानीकरण प्रक्रिया से अधिशेष घोषित अध्यापक।

5.2. यदि बालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने हेतु महिला अध्यापक (ग्रेड–III, ग्रेड II व ग्रेड–I) व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं हो तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष अध्यापकों को पदस्थापित करने हेतु विचार किया जायेगा।

5.3. विद्यालय में वर्ष की 1 जुलाई को 02 वर्ष की पदस्थापन अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

5.4. विषय अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक (व्याख्याता) को उनके विषय के रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जायेगा।

5.5. एन.सी.सी. ऑफिसर के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक को एन.सी.सी यूनिट वाले विद्यालय में ही पदस्थापित किया जायेगा।

5.6. समानीकरण प्रक्रिया से अधिशेष घोषित होने वाले अध्यापक भी स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थानान्तरण परामर्श (Transfer Counselling) में हिस्सा ले सकेंगे।

5.7. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा तथा इनकी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था में भी शहरी क्षेत्र में पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

6. वरियता निर्धारण हेतु पात्रता अंकों का आवंटन

6.1. सामान्य पात्रता अंक

6.1.1 स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों को निम्नानुसार पात्रता अंक आंवटित किये जायेंगे –

(अ) स्थान के आधार पर गत 10 वर्षों में विद्यालयों/विद्यालय में 01 जुलाई को पूर्ण की गई सेवा अवधि हेतु–

(i). 'द' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 5 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर

(ii). 'स' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 3 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर

(iii). 'ब' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 2 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर

(iv). 'अ' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 1 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर

नोट – यदि कोई अध्यापक गत 10 वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो उसे उन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्थान की श्रेणी के आधार पर अंक देय होंगे।

(ब) वर्ष की 01 जुलाई को अध्यापक द्वारा सर्विस में पूर्ण की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिये 0.5 अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.1.2. ग्राम/शहर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे –

(i) 'अ' श्रेणी– जिला मुख्यालय एवं 50000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर एवं उनके 08 किमी परिधी क्षेत्र में स्थित ग्राम

(ii) 'ब' श्रेणी– 50000 तक की जनसंख्या वाले शहर (नगरपालिका/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय) एवं उनके 08 किमी परिधी क्षेत्र में स्थित ग्राम

(iii) 'स' श्रेणी– शहर/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय से 08 किमी से अधिक एवं 20 किमी दूरी तक स्थित सड़क से जुड़े 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम

(iv) 'द' श्रेणी– शेष ग्राम जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हों।

6.1.3. जिले के समस्त शहरों एवं ग्रामों का उपरोक्त अ, ब, स, द श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

(i) जिला कलेक्टर – अध्यक्ष

(ii) अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग – सदस्य

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) – सदस्य सचिव

- यह समिति जिले के समस्त शहर व ग्रामों की श्रेणीवार सूची तैयार करेगी।

- इस संबंध में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण भी इसी समिति द्वारा किया जायेगा।

6.2. विशेष पात्रता अंक (अतिरिक्त अंक)

(अ) अविवाहित / एकल महिला अध्यापक को 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ब) अध्यापक जिसका पति/पत्नि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय में कर्मचारी हो एवं वह उसके पदस्थापन स्थान या उसके निकट स्थानान्तरण चाहता है/चाहती है तो उसे 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(स) (i) समानीकरण से प्रभावित अध्यापक जिन्होंने वर्तमान विद्यालय में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है उन्हें 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे

(ii) समानीकरण से प्रभावित पति–पत्नि श्रेणी के अध्यापक जिन्होंने पूर्व में स्थानान्तरण में इस श्रेणी का लाभ लिया हो एवं बिन्दु संख्या 5.1 (अ) के अनुसार 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है तो उन्हें 6.2(ब) एवं (स) दोनो बिन्दुओं के अनुसार अतिरिक्त अंक देय होंगे, यानि कुल 20 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(द) राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को 10 अतिरिक्त अंक एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को 5 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(य) (i) संस्था प्रधान/विषय अध्यापक को 8 वीं बोर्ड परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 अतिरिक्त अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे

उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(ii) संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों को 10 वीं बोर्ड परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त अंक एवं 90 से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए 01 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(iii) संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों को 12 वीं बोर्ड परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त अंक एवं 90 से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए 01 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(iv) संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों को गत 5 वर्षो में विद्यालय के छात्रों के NTSE/STSE (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा/राज्य प्रतिभ खोज परीक्षा) परीक्षा में छात्रवृत्ति हेतु अंतिम चयन होने पर एवं 10वीं/12वीं बोर्ड की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने पर प्रति छात्र अतिरिक्त 5 अंक दिये जावेंगे।

(v) ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाये जा रहे विषय में गत 5 वर्षों में 100 प्रतिशत छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 अतिरिक्त अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

7. विशेष श्रेणी

पात्रता अंको के अभाव में भी निम्न श्रेणी के अध्यापकों को स्थानान्तरण वरियता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी–

(अ) 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग

(ब) विधवा

(स) परित्यक्ता (कानूनी रूप से विवाह विच्छेद शुदा अध्यापिका)

(द) निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित अध्यापक

(i) कैन्सर

(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण

(iii) हृदय शल्य चिकित्सा

(य) जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचाररत हो।

(र) जिनके बच्चों के दिल में छिद्र एवं ब्रेन टयूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।

नोट 1 : उपरोक्त अ, द, य, र के संबंध में प्रार्थना–पत्र के साथ सक्षम मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया जायेगा (जो जिला/राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया जायेगा/द्वारा प्रमाणित किया जायेगा)।

नोट 2 : विशेष श्रेणी के अध्यापकों को उपरोक्त क्रमानुसार ही प्राथमिकता दी जायेगी एवं श्रेणी विशेष में वरियता पात्रता अंकों के आधार पर दी जायेगी। यदि पात्रता अंक भी समान है तो अध्यापक की वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। वरिष्ठता समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु के अध्यापक को वरियता में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

8. रिक्त स्थानों का निर्धारण एवं प्रकाशन

8.1. स्थानान्तरण परामर्श हेतु निम्न रिक्तियों का प्रकाशन किया जायेगा–

(i) वर्तमान में स्पष्ट रूप से रिक्त पद

(ii) नीति के बिन्दू सं. 5.1 के अनुसार आवश्यक स्थानान्तरण से होने वाले रिक्त पद

(iii) स्थानान्तरण परामर्श प्रक्रिया के दौरान रिक्त होने वाले पद प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित किये जायेंगे।

8.2. सक्षम अधिकारी स्थानान्तरण हेतु गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् रिक्त स्थानों का प्रकाशन करेगा। रिक्त स्थानों के निर्धारण में नामांकन के मध्यनजर समानीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया भी अपनाई जायेगी।

नोट : जिले में उपलब्ध कुल रिक्त पदों के अनुपात में ही समस्त विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से पद रिक्त रखे जायेगे। (परन्तु किसी भी विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों का पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित किया जावे)

9. रिक्त पदों एवं वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

9.1. निम्न सूचियाँ विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक के कार्यालय में प्रदर्शित की जावेगी–

(i) श्रेणीवार (श्रेणी अ,ब,स,द) विद्यालयों की सूची

(ii) भरे जाने वाले विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची

(iii) स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों की पात्रता अंक सहित पात्रता अंकों के आधार पर वरियता सूची।

9.2. स्थानान्तरण आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् पात्रता अंकों के अनुसार, वर्ग वार (अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक (व्याख्याता),

प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य) एवं विषयवार वरियता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मण्डल व जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी।

10. ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र

(i) जो अध्यापक बिन्दू सं.–5 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र है वे स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगे। आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियाँ अंतिम होगी एवं उन्हें बाद में संशोधित नहीं किया जा सकेगा।

(ii) आवेदन कर्त्ता अपने आवेदन पत्र का वेबसाईट से प्रिंट लेकर, हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगे।

(iii) जो आवेदनकर्त्ता विशेष श्रेणी/पति–पत्नि श्रेणी में आवेदन करता है तो उसे प्रार्थना–पत्र के साथ सुसंगत प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, संलग्न करना आवश्यक है।

(iv) जो अध्यापक बिन्दू सं.– 5.1 के अन्तर्गत आते है उनका आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जायेगा। यदि उसने स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है या स्थानान्तरण हेतु आयोजित परामर्शदात्री समिति में हिस्सा नहीं लिया है तो उसे परामर्श पश्चात् रिक्त रहे पदों पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जायेगा।

11. आपत्तियाँ प्राप्त करना एवं उनका निस्तारण

1. बिन्दू सं.– 9 के अन्तर्गत प्रकाशित वरियता सूची एवं पात्रता अंकों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उसे ऑनलाईन या लिखित में मण्डल अधिकारी/

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रमाण सहित निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत किया जावेगा।

2. मण्डल अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जाँच कर आपत्तियों का निस्तारण करेगे एवं यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो तद्नुसार पात्रता अंकों एवं वरियता सूची में संशोधन कर संशोधित वरिष्ठता सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

12. अन्तः जिला स्थानान्तरण हेतु जिला स्तरीय स्थानान्तरण एवं परामर्शदात्री समिति

12.1. यह जिला स्तरीय समिति जिले के अध्यापकों के संवर्गो के लिए जिले के भीतर स्थानान्तरण हेतु अनुशंषा करेगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त कलेक्टर से निम्न का नहीं होगा –**अध्यक्ष**

(ii) उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अथवा उसका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से निम्न नहीं होगा – **सदस्य**

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – **सदस्य सचिव**

नोट : समिति की बैठक में कम से कम दो सदस्य आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

12.2. समिति की सिफारिश पर जिले के भीतर :–

(i) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों/शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जायेंगे।

(ii) उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जायेंगे।

(iii) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रधानाचार्यों/प्राध्यापकों (व्याख्याता) /प्रधानाध्यापकों/शारीरिक शिक्षक (प्रथम श्रेणी) के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जायेंगे।

(B) अर्न्तजिला स्थानान्तरण की प्रकिया

13. अर्न्तजिला स्थानान्तरण

13.1. अध्यापकों के समस्त संवर्गों के लिए अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु बिन्दु संख्या 6 के अनुसार देय पात्रता अंकों के अलावा जिला आवंटन के लिए निम्नानुसार जिलों में पदस्थापित अध्यापकों को 01 जुलाई को जिले में पूर्ण की गई सेवा हेतु प्रति वर्ष के लिए अतिरिक्त अंक देय होंगे –

श्रेणी	जिले	01 जुलाई को पूर्ण की गई सेवा के लिए प्रतिवर्ष देय अतिरिक्त अंक
'अ'	जयपुर, अलवर, सीकर,झुन्झुनू, अजमेर, दौसा, भरतपुर	01
'ब'	टोंक, भीलवाडा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू	02
'स'	धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, राजसमन्द, बीकानेर	03
'द'	बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड	05

13.2 बिन्दु संख्या 13.1 के अनुसार जिले में पदस्थापन के आधार पर देय पात्रता अंक एवं बिन्दु संख्या 6 के अनुसार जिला स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र देने के समय तक पदस्थापित जिले में पूर्ण की गई सेवा के आधार पर देय अंकों का योग कर कुल प्राप्त पात्रता अंकों के आधार पर वरियता सूची तैयार की जायेगी। यह वरियता सूची प्रत्येक इच्छित जिले हेतु पृथक्–पृथक् संवर्गवार तैयार की जायेगी। पात्रता अंक समान होने पर संवर्ग में वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जायेगी एवं वरिष्ठता भी समान होने पर जन्म तिथि के अनुसार जिसकी उम्र अधिक होगी उसे वरियता प्रदान की जायेगी।

13.3 इच्छित जिलेवार तैयार की गई संवर्गवार वरियता सूची के आधार पर जिले में अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों पर अर्न्तजिला स्थानान्तरण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा निम्नानुसार बिन्दु संख्या 13.4 में गठित राज्य स्तरीय स्थानान्तरण एवं परामर्शदात्री समिति की अभिशंषा पर किये जाकर जिला आवंटित किया जायेगा। यह स्थानान्तरण जिले के अन्दर किये जाने वाले स्थानान्तरणों से पहले किए जाकर सिर्फ जिला आवंटित किया जायेगा।

13.4. **अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु राज्य स्तरीय स्थानान्तरण एवं परामर्शदात्री समिति** :–

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(i) निदेशक माध्यमिक शिक्षा – **अध्यक्ष**
(ii) निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा – **सदस्य**
(iii) संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव – **सदस्य**
(iv) अतिरिक्त/संयुक्त/उपनिदेशक मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा–**सदस्य सचिव**

नोटः 1. समिति की बैठक में कम से कम दो सदस्य आवश्यक रूप से उपस्थित होगें।
2. समिति की अनुशंषा पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा अध्यापकों के समस्त संवर्गो के लिए अर्न्तजिला स्थानान्तरण आदेश जारी कर जिला आवंटन किया जायेगा।

13.5 निम्न अध्यापक अन्तर्जिला स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे :–

(i) ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिन्होंने जिले में कुल 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की हो। सेवा अवधि की गणना के लिये पंचायतीराज विभाग एवं सैट–अप परिवर्तन पश्चात् माध्यमिक शिक्षा विभाग में की गई सेवा को सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) ऐसे वरिष्ठ अध्यापक / प्राध्यापक(व्याख्याता) / प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक जिन्होने जिलों में कुल 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की हो। पदोन्नति कोटे के वरिष्ठ अध्यापक/ प्राध्यापक (व्याख्याता)/ प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक की सेवा अवधि की गणना पदोन्नति से पूर्व के पद पर जिले में की गयी सेवा अवधि को शामिल करते हुए की जावेगी।

(iii) बिन्दु संख्या 13.1 में उल्लेखित 'द' श्रेणी के जिलों में रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत पदों के 25% से अधिक होने पर इन जिलों से अन्तर्जिला स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

13.6 अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक जिले में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या की गणना निम्नानुसार की जायेगी :-

(i) बिन्दु संख्या 13.1 में उल्लेखित 'द' श्रेणी के जिलों में संवर्गवार एवं विषयवार उपलब्ध समस्त रिक्त पद।

(ii) बिन्दु संख्या 13.1 में उल्लेखित 'स' श्रेणी के जिलों में संवर्गवार एवं विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों के 50% पद

(iii) बिन्दु संख्या 13.1 में उल्लेखित 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के जिलों में संवर्गवार एवं विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों के 25% पद

13.7 नीति के बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित विशेष श्रेणी के अध्यापकों को वरियता दी जायेगी। परन्तु अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु जिले में उपलब्ध रिक्त पदों में से 30 प्रतिशत पद ही विशेष श्रेणी के अध्यापकों लिए उपलब्ध होंगे। विशेष श्रेणी के अध्यापकों को बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित क्रमानुसार ही वरियता दी जायेगी एवं श्रेणी विशेष में वरियता पात्रता अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि पात्रता अंक भी समान हैं तो वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। वरिष्ठता समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु के अध्यापक को वरियता में प्राथमिकता दी जायेगी।

13.8. जिला आवंटन पश्चात् जिले में पदस्थापन अन्य अध्यापकों की अन्तः जिला स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुये उनकी वरियता पूर्व जिले में पदस्थापन के आधार पर तैयार पात्रता अंक अनुसार की जायेगी। इसके लिये बिन्दु संख्या 13.1 के अनुसार जिले की श्रेणी के आधार पर देय अतिरिक्त पात्रता अंकों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

13.9. अध्यापक तृतीय श्रेणी एवं वरिष्ठ अध्यापक का स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना–पत्र पर ही किया जायेगा एवं स्थानान्तरित जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक की वरिष्ठता उस जिले में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी।

वरिष्ठ अध्यापकों का स्थानान्तरण यदि एक मण्डल के जिले से अन्य मण्डल के जिले में चाहा गया है तो उसकी वरिष्ठता स्थानांतरित मण्डल के वरिष्ठ अध्यापकों में सबसे नीचे निर्धारित की जायेगी।

इस हेतु स्थानान्तरण चाहने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक स्थानान्तरण आवेदन पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

14. पदोन्नति पर पदस्थापन

14.1 सत्र के प्रारम्भ में होने वाले रिक्त पदों को पहले स्थानान्तरण से भरा जायेगा और उसके बाद रिक्त रहे पदों को पदोन्नत होने वाले अध्यापकों से भरा जायेगा।

14.2 पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अपना कर सर्वप्रथम पदोन्नति आदेश जारी किये जायेंगे। पदोन्नत अध्यापकों से पदस्थापन हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों को बिन्दु सं.–6 के अनुसार पात्रता अंक दिये जाकर अंको के आधार पर वरियता सूची तैयार की जायेगी। वरियता सूची वेबसाईट पर प्रकाशित कर आपत्तियाँ प्राप्त कर, उनका निस्तारण कर अंतिम वरियता सूची तैयार की जायेगी। वरियता सूची के आधार पर जिला स्तरीय

स्थानान्तरण एवं परामर्शदात्री समिति द्वारा परामर्श के आधार पर पदोन्नत अध्यापकों की पदस्थापन सूची तैयार कर पदस्थापन की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किये जायेंगे।

14.3. बिन्दु सं. 7 में उल्लेखित विशेष श्रेणी के पदोन्नत अध्यापकों को वरियता सूची में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

15. प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन

15.1. नई भर्ती होने पर प्रथम नियुक्ति के लिये भर्ती परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार वरियता क्रम से इच्छित जिलों (अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार जिलेवार वरीयता के क्रम में) रिक्त स्थानों की उपलब्धता अनुसार जिला आवंटित किया जायेगा। परन्तु :

(i) नीति के बिन्दु सं.–7 में उल्लेखित विशेष श्रेणी के अध्यापकों को योग्यता सूची में वरियता क्रम को नजरअंदाज करते हुये उसी क्रमानुसार वरियता दी जायेगी।

15.2. नई भर्ती से उपलब्ध अध्यापकों का जिलेवार आवंटन जिले में उपलब्ध रिक्त पदों के समानुपात में किया जायेगा।

15.3. जिला आवंटन पश्चात् जिले में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त पदों पर नीति के बिन्दु सं.–12 में गठित जिला स्तरीय स्थानान्तरण एवं परामर्शदात्री समिति द्वारा योग्यता सूची में उल्लेखित वरियता क्रम से उपलब्ध इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा परन्तु :

(i) नीति के बिन्दु सं.–7 में उल्लेखित विशेष श्रेणी के अध्यापकों को योग्यता

सूची में वरियता क्रम को नजरअंदाज करते हुये उसी क्रमानुसार वरियता दी जायेगी।

(ii) यह भी कि महिला अध्यापक को पुरूष अध्यापक पर वरियता प्रदान की जायेगी चाहे योग्यता सूची में वरियता क्रमांक पुरूष अध्यापक से नीचे हो।

16. स्थानान्तरण आदेश जारी करना

16.1. स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी /अधिकारी श्रेणीवार एक साथ स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा। प्रत्येक अध्यापक हेतु पृथक–पृथक आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।

16.2. जिन अध्यापकों का बिन्दू सं.–5 के अन्तर्गत आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जाना है एवं वे परामर्श में सम्मिलित नहीं हुये है तो उनके स्थानान्तरण आदेश परामर्श पश्चात् रिक्त रहे पदों पर समिति की अनुशंषा पर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

16.3. सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा एक बार समिति की सिफारिश पर स्थानान्तरण आदेश जारी करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन समिति या सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

16.4. समस्त स्थानान्तरण आदेश वेबसाईट एवं निदेशक/उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शित किये जायेंगे।

17. अपील

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरूद्ध उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को एवं उपनिदेशक के आदेश के विरूद्ध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 10 दिवस में अपील की जा सकेगी। अपील का निस्तारण 30 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावेगा।

18. रिविजन

18.1. राज्य सरकार/निदेशक माध्यमिक शिक्षा पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या अपनी ओर से (sou-moto) स्वयं को संतुष्ट करने के लिये स्थानान्तरण समिति का कार्यवाही विवरण मंगवा सकेगा। यदि राज्य सरकार/ निदेशक को यह प्रतीत होता है कि ऐसी कार्यवाही विवरण/सिफारिशें स्थानान्तरण नीति अनुसार नहीं है तो वह उन्हें पुनःरीक्षित (revised), संशोधित (modify), रद्द/निरस्त कर सकेगा या निर्देशों के साथ त्रुटि ठीक करने हेतु नियुक्ति अधिकारी को भेज सकेगे। ऐसे आदेशों की पालना सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जावेगी।

19. गलत सूचना देने या नीति विरूद्ध कार्य करने पर दण्ड

19.1. किसी भी अध्यापक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थानान्तरण आवेदन–पत्र में गलत सूचना एवं प्रमाण–पत्र देने पर एवं ऐसे अधिकारी जिन्होने गलत सूचना प्रमाणित की है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

19.2. स्थानान्तरण समिति के सदस्य सचिव द्वारा यदि नीति विरूद्ध स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाते हैं तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

20. राज्य सरकार के अधिकार

20.1. राज्य सरकार स्वःपूरक या किसी परिवेदना/प्रार्थना–पत्र के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही/स्थानान्तरण आदेश का रिकॉर्ड स्वयं को संतुष्ट करने के लिये मंगवा सकेगी एवं जाँच पश्चात् सुसंगत आदेश जारी कर सकेगी। इस आदेश की पालना संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी।

20.2. राज्य सरकार गम्भीर शिकायत पर प्राथमिक जाँच पश्चात् कारण स्पष्ट करते हुये प्रशासनिक कारणों से अध्यापकों का स्थानान्तरण कर सकेगी।